न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 11/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		ताराचंद फूलवानी पुत्र वासुदेव जाति सिंधी निवासी चूरो का मोहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–मैसर्स वासुदेव ब्रदर्स, भण्डारी बिल्डिंग के नीचे, मेडतासिटी जिला नागौर।

आदेश दिनांक :25.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 11-10-2019 को मैसर्स वासुदेव ब्रदर्स, भण्डारी बिल्डिंग के नीचे, मेडतासिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ टूटी फ्रूटी (मास्टर) (Papaya Preserve) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1193 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/162/एक्ट/2019/155 दिनांक 22.10.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना टूटी फ्रूटी (मास्टर) (Papaya Preserve) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ताराचंद फूलवानी पुत्र वासुदेव जाति सिंधी निवासी चूरो को मौहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए.2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 14-05-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहा है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/162/एक्ट/2019/155 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ टूटी फ्रूटी (मास्टर) (Papaya Preserve) का नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी ताराचंद फूलवानी पुत्र वासुदेव जाति सिंधी निवासी चूरो को मौहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर पर रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)